—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 122/2025

उनवान

1. केसर पत्नि लादू उर्फ लादूराम पुत्र सुखा उर्फ सुखराम,
2. प्रेम पुत्री लादू,
3. मानकी पुत्री लादू,
4. गोपाल पुत्री लादू,
5. बाबूलाल पुत्र लादू,
6. रामचन्द्र पुत्र लादू,
7. राजू पुत्र लादू जातिगण गुर्जर निवासी श्रीगर मजरा बाडा

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री शिवजीराम गुर्जर

बनाम

1. हगामी पत्नि बींजा (फौत जरिये वारिस)
   1/1. प्रेम देवी पत्नि कैलाश पुत्री बींजा जाति रावत निवासी श्रीनगर हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी मीरशाह अली अजमेर ,
2. नाथी पुत्री घीसा जाति रावत निवासी श्रीनगर,
3. उपपंजीयन अधिकारी महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद,
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित, 3 व 4 जरियें राज. पैरोकार

5. संतरा पुत्री लादू उर्फ लादूराम पुत्र सुखा उर्फ सुखराम जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर मजरा बाडा नसीराबाद (फौत जरिये वारिस)
   5/1. लक्ष्मण ना.बा पुत्र संतरा
   5/2. सोनू ना.बा. पुत्र संतरा
   5/3. शीला ना.बा. पुत्री संतरा समस्त जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर मजरा बाडा नसीराबाद जरियें संरक्षक हेमराज पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी मजरा बाडा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अपप्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 27.10.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर की निम्न आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की कयशुदा खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल	रकबा
2122	4—7—0	207	0.30
		849	1.12
2123	4—9—0	2034	1.12
2126	0—10—0	2017	0.52

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2127	2—2—0	2017 2033	0.52 0.37
2128	1—14—0	2018	0.39
2129	2—9—0	2033 2018	0.37 0.39
1256	2—12—0	2010	0.76
1257	2—5—0	2009	0.36
1258	3—12—10	2017 2010	0.52 0.76

उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी मे हंगामी पत्नी बींजा व नाथी पुत्री घीसा के नाम खातेदारी दर्ज थी। पूर्व में उक्त आराजी घीसा पुत्र बाघा के नाम दर्ज थी। तत्पश्चात उसके वारिसान मृत पुत्र बींजा की पुत्रवधु हंगामी, पुत्री नाथी व दत्तक पुत्र भंवरलाल पुत्र बालू दत्तक पुत्र घीसा द्वारा उपरोक्त आराजी का आधा हिस्सा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 17.08.1974 को रामदेव पुत्र कालूराम को बैचान कर दिया। रामदेव पुत्र कालूराम द्वारा आराजी मुतनाजा में अपना सम्पूर्ण आधा हिस्सा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1974 को भंवरलाल पुत्र बालू दत्तक पुत्र घीसा को बैचान कर दिया। भंवरलाल पुत्र बालू दत्तक पुत्र घीसा द्वारा आराजी मुतनाजा के आधे हिस्से को दिनांक 25.6.1977 से अमर सिंह पुत्र बोदू, मान सिंह पुत्र हरि, भंवरलाल पुत्र दूला, लाला पुत्र भींया को बैचान कर कब्जा संभला दिया। अमर सिंह पुत्र बोदू, मान सिंह पुत्र हरि, भंवरलाल पुत्र दूला, लाला पुत्र भींया द्वारा उक्त आराजी जरियें विक्रय पत्र दिनांक 25.09.1978 व 5.4.1983 को प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थी के पूर्वज लादू उर्फ लादूराम पुत्र सुखा उर्फ सुखराम को बैचान कर दिया। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में अराजी मुतनाजा केता/प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। जिस कारण अप्रार्थी आराजी मुतनाजा पर दखलदाजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहें राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम श्रीनगर की आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थी के पूर्वज द्वारा क्रय की गयी है। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही हुयी है। प्रार्थीगण द्वार मूल वाद में उक्त आराजी में खातेदारी का अनुतोष चाहा है।पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रकरण को कोई खण्डन पत्रावली पर नही है। मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण [illegible] उचित है। शेष तथ्य, मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्र[illegible] होती है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की [illegible] यह [illegible]पित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित [illegible] कि यदि आदेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज की क्रयशुदा है। भूमि का आगे विक्रय होता है तोमौके पर वाद [illegible]लता की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्राथीगर्ण के पक्ष में सिद्ध होती है।

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :–ग्राम श्रीनगर की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौक व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested